महेश ग्रोवर और ललित बत्रा न्यायमूर्ति के समक्ष

सतीश कुमार-अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य – उत्तरवादीगण

2017 का एल. पी. ए. संख्या 277

29 मई, 2019

पत्र पेटेंट-खंड एक्स-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भर्ती-अनुकूल विकृति-चिकित्सा योग्यता-कांस्टेबल के रूप में भर्ती को अस्वीकार कर दिया गया-स्त्री रोग दोनों पक्षों-उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं-आयोजित, ठीक स्त्री रोग-कर्तव्यों को बाधित नहीं कर सकता-अपील की अनुमति है।

माना गया है कि, प्रतिवादीगण द्वारा नियुक्त मानकों में जन्मजात विकृति अभिव्यक्ति के अर्थ की व्याख्या आम तौर पर या इतने व्यापक रूप से नहीं की जा सकती है ताकि ऐसे छोटे दोष भी शामिल किए जा सकें जो किसी भी तरह से कार्यात्मक दक्षता को प्रभावित नहीं करते हैं। यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की सामान्य अपेक्षित कार्यप्रणाली बाधित हो।ऐसे अवसर होते हैं जब एक पुरुष स्त्री जैसे स्तन विकसित कर सकता है जिसे गाईनेकोमास्टिया के रूप में जाना जाता है और शल्य चिकित्सा सुधार से गुजरना पड सकता है।ऐसी स्थिति में, संबंधित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को भर्ती के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं मानेंगे।

(पैरा 6)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि इसलिए प्रतिवादीगण के निष्कर्ष किसी भी सांठगांठ के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं, उस उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत सांठगांठ की तो बात ही छोड़िए जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी। इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गाईनेकोमैस्टिया बीमारी, जो पहले ही ठीक हो चुकी है, अपीलार्थी को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ बना देता।

(पैरा 10)

गणेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए।
पी. एस. सिद्धू, यू. ओ. आई. के अधिवक्ता
इंद्रेश गोयल, अधिवक्ता
उत्तरवादी नंबर 2 के लिए
समर्थ सागर, अधिवक्ता, न्यायमित्र

ललित बत्रा, न्यायमूर्ति

(1) यह पत्र पेटेंट अपील अपीलार्थी (याचिकाकर्ता) द्वारा 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24395 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा "सतीश कुमार बनाम भारत संघ और अन्य" शीर्षक से दिए गए दिनांक 28-11-2016 के फैसले की वैधता पर आक्षेप करते हुए दायर की गई है, जिसके संदर्भ में, अपीलार्थी का अपनी चिकित्सा योग्यता के लिए दावा और प्रतिवादीगण को सी. ए. पी. एफ./एन. आई. ए./एस. एस. एफ. और असम राइफल्स में राइफलमैन (जी. डी.) के रूप में कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के रूप में भर्ती के अपने दावे पर विचार करने का निर्देश, खारिज कर दिया गया है।

(2) अपीलार्थी का मामला संक्षेप में यह है कि प्रतिवादीगण ने असम राइफल्स में सीएपीएफ /एनआईए एसएसएफ और राइफलमैन (जीडी) में कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या 62,390 थी।पात्र होने और अपेक्षित योग्यता रखने वाले अपीलार्थी ने ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत इसके लिए आवेदन किया। अपीलार्थी का आवेदन सही पाया गया और उसे अनुक्रमांक संख्या 221406018298 जारी किया गया।अपीलार्थी शारीरिक परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ और उसे 14.07.2015 को उक्त परीक्षण में सफल/योग्य घोषित किया गया, जैसा कि अनुलग्नक पी-2 से स्पष्ट है। इसके बाद, अपीलार्थी लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ, जो 04.10.2015 को आयोजित की गई थी और उसने उक्त परीक्षा भी उतीर्ण की। अपीलार्थी को 07.06.2016 को चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाया गया था और वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ जहाँ दिनांक 08.06.2016 के अनुलग्नक पी-4 के माध्यम से, उसे निम्नलिखित कारणों से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया -

“गाइनेकोमैस्टिया दोनों तरफ "

(3) ऊपर बताई गई बीमारी का पता चलने पर, अपीलार्थी का विनायक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, हिसार में 17.06.2016 को स्त्री रोग के लिए ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद वह सिविल अस्पताल, हिसार के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी ने अपनी चिकित्सा अयोग्यता के खिलाफ कमांडेंट, 22 जी. एन. बी. एस. एफ., छावला कैम्प, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की थी, जो अपील अभी भी लंबित है। हालाँकि, अपीलार्थी को सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल, बी. एस. एफ., नई दिल्ली में 02.09.2016 को समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया था और परीक्षा पर दिनांक 06.09.2016 (अनुलग्नक पी -8), की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें निम्नलिखित कारणों से अयोग्य घोषित किया गया थाः-

“जाँच करने पर बी/एल गाइनेकोमैस्टिया ने यू. एस. जी. स्तन का विकल्प चुना जो वर्तमान में सामान्य है लेकिन व्यक्ति में महिला प्रकार की शरीर संरचना होती है। पुरुष के लिए सेटरन एस्ट्रैडियोल स्तर 72.8 आरजी/एमएल (सामान्य 11.6-41.2) है।”

(4) अपीलार्थी ने फिर से सिविल अस्पताल, हिसार को सूचित किया

जहाँ उन्हें विशेषज्ञ की राय के लिए पीजीआईएमएस, रोहतक भेजा गया।परीक्षण के बाद, अपीलार्थी को पीजीआईएमएस रोहतक के विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किया गया, जिसमें एस्ट्रैडियोल स्तर 39.4 आरजी/एमएल पाया गया, जो पुरुषो के लिए सामान्य है। अपीलार्थी ने फिर से प्रतिवादीगण से संपर्क किया और सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और अपने मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत अपीलार्थी को दिनांक 25.09.2016 को कानूनी नोटिस भेजा गया जिसमें प्रतिवादीगण से कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के रूप में भर्ती के लिए अपने मामले पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया गया क्योंकि वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ था लेकिन संबंधित तिमाही से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24395 दायर किया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेकिन इसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.11.2016 के फैसले के माध्यम से सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि समीक्षा चिकित्सा अधिकारियों ने समीक्षा चिकित्सा परीक्षा के दायरे से परे यात्रा की है, लेकिन उक्त निष्कर्षों के बावजूद रिट याचिका खारिज कर दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश इस बार की सराहना करने मे असफल रहे है कि पहली बार में, चिकित्सा बोर्ड ने अपीलार्थी को **" गाइनेकोमैस्टिया दोनों तरफ के एकमात्र आधार "** चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया था और इस तथ्य के बावजूद अपीलार्थी ने समीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपनी जांच से पहले उपरोक्त बीमारी के संबंध में खुद का ऑपरेशन कराया था, मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित करने के लिए कमियों के अन्य पहलुओं का खुलासा किया गया था, जो दर्शाता है कि प्रतिवादीगण का निर्णय स्वयं विरोधाभासी है। यदि समीक्षा चिकित्सा परीक्षण में उल्लिखित कमियों को प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण में इंगित किया गया था, तो अपीलार्थी संभवतः उन कमियों का भी इलाज करवा सकता था। क्योंकि अपीलार्थी शारीरिक और लिखित परीक्षणों में उत्तीर्ण होने के बाद शारीरिक रूप से स्वस्थ है, समीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी की, अपीलार्थी के शरीर की संरचना महिला प्रकार की है, कार्य के निर्वहन में कोई बाधा पैदा नहीं करती है और वास्तव में इसे कार्यात्मक अक्षमता नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, इन कारणों से, अपीलार्थी ने ऊपर दिए गए दिनांक 28.11.2016 के विवादित निर्णय को वापस लेने और अपने दावे को स्वीकार करने के लिए कहा है।

(5) उत्तरवादी संख्या 1 ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से तर्क दिया है कि चिकित्सा जांच में अपीलार्थी को अयोग्य पाया गया था और आगे समीक्षा चिकित्सा जांच में, उसे फिर से अयोग्य पाया गया था। चूंकि सी. आर. पी. एफ. जैसे अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होती है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानकों की आवश्यकता होती है और इसके लिए अर्ध-चिकित्सा बलों के चिकित्सा अधिकारी उम्मीदवार की चिकित्सा स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी सिविल डॉक्टरों द्वारा दी गई राय उन कठिनतम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक नहीं है, जिनका सामना सेनाएं वास्तविक जीवन में हररोज प्रतिकूल इलाकों में करती हैं। इस तरह, प्रतिवादीगण ने

तत्काल अपील खारिज करने की मांग की है।

(6) हमने पक्षों के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान न्याय मित्र को भी सुना है और मामले के रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक देखा है।

(7) आगे बढ़ने से पहले, भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा से संबंधित अध्याय-X के प्रासंगिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन काफी प्रासंगिक है और उक्त प्रावधान निम्नानुसार है :-

"10.3 चिकित्सा परीक्षणों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

(क) कि भर्ती करने वाला पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है।

(ख) कि उसकी सुनने की क्षमता अच्छी है और कान की बीमारी का कोई संकेत नहीं है।

(ग) कि दोनों आँखों से उसकी दृष्टि आवश्यक मानक तक है।

(घ) कि उनकी वाणी में कोई बाधा नहीं है।

(ङ) कि उसे ग्रंथि संबंधी सूजन नहीं है।

(च) कि उसकी छाती अच्छी तरह से बनी हुई है और उसका दिल और फेफड़े स्वस्थ हैं।

(छ) कि उसे किसी भी डिग्री या प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं है।

(ज) कि उसके अंग अच्छी तरह से संगठित हैं और पूरी तरह से विकसित हैं।

(झ) कि सभी जोड़ों की स्वतंत्र और पूर्ण क्रिया होती है।

(ञ) कि उसके पैर और पैर की उंगलियां अच्छी तरह से बनी हुई हैं।

(ट) कि उसमे कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

(ठ) कि वह एक बिगड़ी हुई संरचना की ओर इशारा करते हुए पिछली बीमारी के निशान नहीं रखता है
।

(ड) कि उसके पास कुशल चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं।

(ढ) कि उसे जननांग पथ की कोई बीमारी नहीं है।

पुनः नामांकन के मामले में, व्यक्ति के पिछले इतिहास से यह पता लगाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या वह कभी घायल हुआ है या किसी बीमारी से पीड़ित है, जो भविष्य में अयोग्यता के संभावित कारण हो सकते हैं।

नामांकन के समय नामांकन प्रपत्र में इसके बाद आश्य का नोट अंकित किया जाना चाहिए।

10.4.अस्वीकृति के लिए सामान्य आधार : निम्नलिखित में से किसी भी शर्त के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगाः-

(क) सामान्य रूप से बाधित संविधान।

(ख) असामान्य चाल।

(ग) असामान्य मुद्रा और रीढ़ की हड्डी की असामान्य वक्रता।

(घ) छाती, जोड़ों की सकल शारीरिक विकृति (घुटने, झुके हुए पैर, चपटे पैर आदि)।

(ङ) दोषपूर्ण बुद्धिमत्ता।

(च) बधिरता।

(छ) उच्चारण हकलाना।

(ज) मानसिक और तंत्रिका अस्थिरता में मोटे डिजिटल झटके, हाइपरहाइड्रोसिस और टैकीकार्डिया शामिल हैं।

(झ) यौन संचारित रोग।

(ञ) भेंगापन की कोई भी डिग्री।

(ट) दृष्टि के निम्न मानक और किसी भी प्रकार की अपवर्तक शल्य चिकित्सा द्वारा दृश्य सुधार की अनुमति लेसिक द्वारा भी नहीं दी जाती है।

(ठ) कॉर्नियल अपारदर्शिता।

(ड) कान की झिल्ली का छिद्रण

(ढ) क्रोनिक सपोर्टिव ओटिटिस मीडिया।

(ण) दाँतों का गिरना या सड़ना, जिससे उचित चबाने मे बांधा आती है।

(त) दीर्घकालिक ब्रोन्कियल, स्वरयंत्र, फेफड़े के रोग।

(थ) अंतःस्रावी विकार।

(द) कोई भी पुरानी बीमारी जैसे तपेदिक, उपदंश या अन्य यौन रोग, संधिशोथ/किसी भी प्रकार का गठिया, उच्च रक्तचाप और मधुमेह।

(ध) वाल्वुलर या हृदय की अन्य बीमारी

(न) किसी भी प्रकार का हर्निया या हाइड्रोसिल।

(प) चिह्नित वैरिकोसेल, टेस्टिकुलर सूजन, एट्रोफिक टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस।

(फ) ल्यूकोडर्मा, कुष्ठ रोग, एस. एल. ई., एक्जिमा, क्रोनिक फंगल डर्मेटाइटिस जैसे पुराने त्वचा रोग।

(ब) गुदा फिस्टुला, बवासीर।

(भ) पैरों की विकृति जैसे फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लांटर वार्ट आदि

(म) मिर्गी, निस्टैगमस/प्रोग्रेसिव पैटरीजियम, सामान्यीकृत न्यूरोफिब्रोमैटोसिस

(य) वैरिकाज़ नसें, वैरिकाज़ नसों का निदान नसों के फैलाव और टेढ़ापन के आधार पर होना चाहिए अस्वीकृति के लिए केवल नसों की प्रमुखता मानदंड नहीं होना चाहिए। वैरिकाज़ नसों के ऑपरेशन वाले मामलो को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

10.5 मामूली स्वीकार्य दोष

मामूली दोषों से पीड़ित उम्मीदवार की स्वीकृति-निम्नलिखित दोषों के साथ हल्की डिग्री के साथ

प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को स्वीकार किया जा सकता हैः

(क) हल्के सपाट पैर-बिना लक्षण वाले मोबाइल फ्लैट पैर को उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य घोषित करने के लिए विकृति नहीं माना जाना चाहिए। परीक्षण आर्क का उच्चतम बिंदु 1.5 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए।

(ख) हल्का खटखटाना घुटने के बीच अंतर मैलोलर दूरी 5 सेंटीमीटर या इससे कम

(ग) बाई ओर वैरिकोसेल की हल्की सी डिग्री बिना जटिलता के और कम लक्षणो के कारण किसी स्वस्थ व्यक्ति ने इसी स्वीकार करने मे बांधा नहीं होनी चाहिए।

(घ) हल्के हथौड़े की पैर की उंगलियों पर कोई दर्दनाक कॉर्न या बर्से नहीं है और पैर की उंगलियों पर नहीं चलता हो, इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) कान के पर्दे के छिद्र को ठीक करता है।

(च) अवशिष्ट विकृति के बिना ट्रैकोमा को ठीक किया।

(छ) हल्का हकलाना-यदि 4-5 वाक्यों के बाद हकलाना देखा जाए।

(ज) कोई अन्य मामूली दोष जो भर्ती करने वाले एम. ओ. की राय में भविष्य में एक सैनिक के रूप में उम्मीदवार की दक्षता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बशर्ते कि उम्मीदवार अन्य मामलों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(6) तत्काल मामले में चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2016 (अनुलग्नक पी-4) के अनुसार, अपीलार्थी को केवल "गाइनेकोमैस्टिया दोनों तरफ" होने के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.2016 को अपीलार्थी के शरीर मे किसी अन्य बीमारी या किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई । गाइनेकोमास्टिया (कभी-कभी "पुरुष स्तन" भी कहा जाता है) एक सामान्य स्थिति है जो लड़कों और पुरुषों के स्तनों को सूजने और सामान्य से बड़ा होने का कारण बनती है। यह किशोर लड़कों और बड़े पुरुषों में सबसे आम है। आम तौर पर, स्तन के सूजे हुए ऊतक जन्म के बाद दो से तीन सप्ताह के भीतर चले जाते हैं। युवावस्था के दौरान हार्मोन में परिवर्तन के कारण होने वाला स्त्री रोग अपेक्षाकृत

समान्य है ज्यादातर मामलों में, सूजे हुए स्तन के ऊतक छह महीने से दो साल के भीतर बिना उपचार के चले जाएंगे। गाइनेकोमास्टिया के कुछ मामलों में उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है, अन्य मामलों में उपचार अंतर्निहित स्थिति के प्रबंधन पर केंद्रित होती है। शायद ही कभी, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो। इस परिदृश्य में, यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि यद्दपि स्त्रीकोमास्टिया हालांकि हार्मोन परिवर्तनों के कारण होता है, समय बीतने के साथ इसका प्रभाव कम हो जाता है या दुर्लभ संभावनाओं के मामले में चिकित्सा या शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक होता है। इस समय यह बताना प्रासंगिक है कि उपरोक्त नियमों का नियम 10.3 (के) इस पहलू से संबंधित है कि उपरोक्त पद के इच्छुक उम्मीदवार मे कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है। आगे बढ़ने से पहले, 'जन्मजात विकृति' और 'जन्मजात असामान्यता' के अर्थ और प्रभाव को समझना आवश्यक है 'जन्मजात विकृति या दोष या असामान्यता शरीर की कोई भी विकृति है चाहे वह शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक हो, जो सामान्य से विचलन है और जन्म के समय मौजूद होती है। आनुवंशिक विकृति जीन में एक असामान्यता है और यह जन्म के समय या बाद में जीवन में प्रकट हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं। जन्मजात विकृति कई कारणों से हो सकती है जो आनुवंशिक, पर्यावरणीय या दोनों का संयोजन हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जन्मजात विकृति मामूली हो सकती है, जिससे बहुत कम या कोई हानि नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, चेहरे पर पोर्ट वाइन के दाग की प्रकृति ऐसी ही हो सकती है ; छाती पर एक अतिरिक्त निप्पल; एक छोटी चौथी उंगली; एक अतिरिक्त उंगली या अन्य असामान्य चेहरे या शारीरिक विशेषताएं; एक पुरुष में स्तनों का गठन; एक महिला में पुरुष जननांग का गठन आदि। कुछ ऐसे दोष जैसे फटे होंठ या फटे तालू आदि की प्रकृति। इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अन्य दोष गंभीर हानि का कारण बन सकते हैं जैसे कि मानसिक गंभीर शारीरिक असामान्यताएँ, कैंसर की घटनाओ मे वृद्धि आदि।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक उम्मीदवार में एक विशेष स्थिति का अस्तित्व वास्तव में ऐसे उम्मीदवार को सेवा में सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य नहीं बनाएगा। प्रतिवादीगण द्वारा नियुक्त मानकों में "जन्मजात विकृति" अभिव्यक्ति के अर्थ की व्याख्या आम तौर पर या इतने व्यापक रूप से नहीं की जा सकती है कि ऐसे छोटे दोष भी शामिल किए जा सकें जो किसी भी तरह से कार्यात्मक दक्षता को प्रभावित नहीं करते हैं। यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की सामान्य अपेक्षित कार्य प्रणाली खराब हो जाए। ऐसे अवसर होते हैं जब किसी पुरुष मे स्त्री जैसे स्तन विकसित हो सकते है जिसे गायनेकोमास्टिया कहा जाता है और शल्य चिकित्सा सुधार से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को भर्ती के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं मानेंगे। इस आश्य के लिए "फैजान सिद्दीकी बनाम शास्त्र सीमा बल" मामले पर भी भरोसा किया जा सकता है

(7) तत्काल मामले में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपीलार्थी की प्रारंभिक चिकित्सा जांच, 08.06.2016 को हुई, जिसमें दोनों तरफ स्त्री रोग का पता चला। इसके तुरंत बाद अपीलार्थी ने खुद को दिनांक 17-06-2016 को विनायक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, हिसार (हरियाणा) मे भर्ती कराया और उक्त बीमारी के लिए उसका ऑपरेशन किया गया, जैसा कि अनुलग्नक पी-5 से स्पष्ट है। केवल उक्त कारण के लिए, चिकित्सा बोर्ड ने दिनांक 06-09-2016 को अपीलार्थी की समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के समय, जो स्पष्ट रूप से राय दी है कि परीक्षण मे बी/एल गायनेकोमास्टिया संचालित यू. एस. जी. स्तन वर्तमान में सामान्य है, जैसा कि अनुलग्नक पी-8 से स्पष्ट है। अन्यथा भी, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, नियम 10.5 (मामूली स्वीकार्य दोष) का केवल अवलोकन करने से पता चलता है कि प्रतिवादीगण ने स्वयं माना है कि कुछ स्थितिया हो सकती है जो किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अयोग्य बना सकती हैं या जो सुधारी जा सकती है। प्रतिवादीगण ने यह भी माना है कि केवल एक विशेष शर्त का अस्तित्व किसी विशेष शर्त का असितव मात्र से कोई व्यक्ति भर्ती के लिए अयोग्य हो सकता है। इसमे कहा गया है कि ऐसे दोष हो सकते हैं जो भविष्य में एक कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के रूप में एक उम्मीदवार की दक्षता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गानेकोमास्टिया, जैसा कि अपीलार्थी के चहेरे पर पाया गया, कि बीमारी ठीक हो गई थी, इस प्रकार दिनांक 08.06.2016 को आयोजित चिकित्सा परीक्षण में बताई गई कमी, महत्वहीन हो गई है।

(8) दिनांक 06.09.2016 को हुई अपीलार्थी की समीक्षा चिकित्सा परीक्षण मे चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई टिप्पणियों के पहलू "व्यक्ति की शारिरीक सरचना महिला जैसी होती है", से सबंधित है।

यह देखा गया है कि अपीलार्थी की शारीरिक संरचना के बारे में ऐसा कोई अवलोकन कभी भी चिकित्सा बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था, जिसने 08.06.2016 को अपीलार्थी की चिकित्सा जांच की थी। एक बार जब अपीलार्थी 08.06.2016 को चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उक्त बोर्ड के सदस्य को उक्त व्यक्ति की शारीरिक संरचना के सभी फायदे और सभी पक्षो और विपक्षों के बारे अच्छी तरह से पता था और उस समय उन्होंने उपरोक्त तथाकथित दुर्बलता का उल्लेख नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने जब 08.06.2016 को अपीलार्थी की जांच की, तो उन्होंने अपीलार्थी की तथाकथित शारीरिक संरचना को किसी भी प्रकार की दुर्बलता मानना उचित नहीं समझा। अन्यथा भी समीक्षा का दायरा काफी सीमित है क्योंकि किसी मामले की समीक्षा करते समय, उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है जिसका पहले पता लगाया गया था/जिससे निपटा गया था। समीक्षा चिकित्सा परीक्षा के दौरान चिकित्सा बोर्ड द्वारा विचार करने के बाद, क्योंकि स्त्री रोग की बीमारी पहले ही कम हो चुकी है, तो समीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड के लिए अन्य कमियों का एक नया संस्करण सामने आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के समय समीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई "व्यक्ति की शारीरिक सरंचना महिला जैसी होती है" की टिप्पणी बहुत अस्पष्ट है और चिकित्सा आधार पर अपीलार्थी की अस्वीकृति के लिए कोई भी मामला बनाने के लिए, जैसा कि ऊपर विस्तृत है, नियम 10.4 (अस्वीकृति के लिए सामान्य आधार) के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी के मामले को नहीं लाती है।

(9) समीक्षा चिकित्सा जांच के समय अपीलार्थी के शरीर में एस्ट्रैडियोल स्तर (72.8 आरजी/एमएल) में वृद्धि के पहलू के बारे में, यह देखा गया है कि उक्त स्तर में वृद्धि का पता चलने के बाद, अपीलार्थी ने पीजीआईएमएस रोहतक से अपनी जांच कराई, जहां पर्चे पर एस्ट्रैडियोल स्तर की नए सिरे से जांच की गई और यह अनुमेय सीमा यानी 39.04 आरजी/एमएल के भीतर पाया गया, जैसा कि अनुलग्नक पी-10 से स्पष्ट है।

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उपरोक्त कमियों के आधार पर अपीलार्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का उत्तरदाता का निर्णय वास्तव में सेवा के लिए चिकित्सा योग्यता के उद्देश्य से जुड़ा था और इसलिए यह भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं था। इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि चिकित्सा स्वास्थ्य के मानकों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि भर्ती के इच्छुक व्यक्ति के किसी भी हित की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत अधिक उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए। इस पर विवाद नहीं किया हो सकता कि प्रतिवादीगण को भर्ती मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से प्रेरित होगा। कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) कठिन कार्य करता है जिसे केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर्मियों द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां तक मानदंडों के इरादे का संबंध है, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि यह एक वैध और स्पष्ट रूप से समझने योग्य मकसद है।

वह प्रशन जिसपर अपीलार्थी आंदोलन करता है, वह यह है कि क्या चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति का उन योग्य कर्मियों की भर्ती के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध था जो सेवा की कठोरता का सामना करने में सक्षम थे और यह निर्णय मनमाना नहीं था । इसलिए प्रतिवादीगण को यह दिखाने की आवश्यकता है कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकालते हुए एक तर्कसंगत निर्णय लिया था कि अपीलार्थी की अव्यवस्था एक कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) को सौंपे गए कर्तव्यों में हस्तक्षेप करेगी । विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों को तर्कसंगत रूप से पढ़ने और व्याख्या करने की आवश्यकता है । उचित चिकित्सा मानक आवश्यक कार्य कार्यों को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं। किसी चिकित्सा स्थिति या मानक पर इस तरह से जोर देना या व्याख्या करना जिसका बताए गए कार्य विवरण को पूरा करने के लिए आवश्यक चिकित्सा योग्यता के स्तर से कोई संबंध नहीं है, वास्तव में आवश्यक नहीं है और यहाँ तक कि भेदभावपूर्ण भी हो सकता है। इस न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिलेख से यह भी पता चलता है कि शुरू में प्रतिवादीगण ने "दोनों तरफ के पक्षो से गाईनेकोमेस्टिया" का उल्लेख किया है जो अपीलार्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार है लेकिन उक्त बीमारी समीक्षा चिकित्सा परीक्षण से पहले ही ठीक हो गई थी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हालांकि अपीलार्थी की समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के दौरान, समीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड ने टिप्पणी की कि अपीलार्थी के शरीर की संरचना महिला प्रकार की है और एस्ट्रैडियोल स्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन तथ्यों के एक दिए गए समूह में तथाकथित दुर्बलताओं/कमियों का कोई आधार नहीं है वास्तव में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी ने शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस प्रकार प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि स्त्री रोग से प्रभावित व्यक्ति, जो पहले ही ठीक हो चुका है, कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) को सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है जो अपीलार्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक विचार होता। इसलिए प्रतिवादीगण के निष्कर्ष किसी भी सांठगांठ की परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं, प्राप्त किए जाने वाले उद्देशय के लिए तर्क संगत साठ गाठ तो दूर की बात है । इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गायनोकोमेस्टिया बीमारी, जो पहले ही ठीक हो चुकी है, अपीलार्थी को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ बना देता।

(11) उपरोक्त निष्कर्षों की अगली कड़ी के रूप में, चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त चर्चा किए गए तय परिप्रेक्ष्य में पूरे मामले पर विचार नहीं किया, इसलिए हम अपीलार्थी (याचिकाकर्ता) द्वारा की गई त्वरित पत्र पेटेंट अपील की अनुमति देते हैं। 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24395 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा शीर्षक "सतीश कुमार बनाम भारत संघ और अन्य" से दिया गया दिनांक 28.11.2016 का विवादित निर्णय अलग रखा गया है। परिणामस्वरूप सीएपीएफ/एनआईए/एसएसएफ मे कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स मे राइफल्समैन (जी डी) के पद के

(ललित बत्रा, न्यायमूर्ति)

लिए अपीलार्थी की उम्मीदवारी को 08.06.2016 को आयोजित चिकित्सा परीक्षाओ मे चिकित्सा अयोग्यता और 06.09.2016 को आयोजित समीक्षा मनमाना, तर्कहीन और अवैध है, के आधार पर रद्द कर दिया जाता है। अपीलार्थी (याचिकाकर्ता) को उपरोक्त बल में कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के रूप में तुरंत भर्ती का हकदार माना जाता है। रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तो के अनुसार दी गई है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण-स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(सरोज बाला)

अनुवादक